कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

–: कार्यालय आदेश :–

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्रांक एफ.7(77)भर्ती/प्रधानाध्यापक मा.शि./ 2008–09/1038 दिनांक 20.12.2019 द्वारा एसबीसियासं. 10593/2014 राजेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं एसबीसियासं0 10590/2014 शांति चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2019 की अनुपालना में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के शेडयूल–I के ग्रुप–एफ के पद पर निम्नांकित अभ्यर्थियों के नामों को प्रधानाध्यापक रामावि समकक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया हैं।शासन ने अपने पत्रांक प.17(199) माध्य/शिक्षा–2/वि.प्र./2019 जयपुर दिनांक 16.01.2020 द्वारा समेकित आदेश दिनांक 20.09.19 के विरूद्ध खंडपीठ के समक्ष अपील दायर नहीं किये जाने का स्थायी समिति का निर्णय प्रसारित किया है। संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग के पत्रांक पं.17(9) शिक्षा–2/प्रअ भर्ती/2013 जयपुर दिनांक 10.06.2020 द्वारा कार्मिक विभाग की आई0डी0 संख्या 203 दिनांक 17.03.2020 एवं वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 102002151 दिनांक 26.05.2020 की सहमति के क्रम में जारी अनुपालना स्वीकृति के फलस्वरूप निम्नांकित आशार्थियों को प्रधानाध्यापक–मावि के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के लेवल–14 में नियुक्ति प्रदान कर इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। इनका चरित्र संतोषजनक नहीं होने पर सेवा मुक्त करने का अधिकार नियोक्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

क्र. सं	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	चयन वर्ग	नाम अभ्यर्थी मय वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	वर्ग	पदस्थापन स्थान	जिला
1	963-A	308517	BCM	राजेन्द्र कुमार व्याख्याता रा.उ.मा.वि. रोसावा, सीकर।	03.09.1977	BC	इचरज देवी पटावरी राबामावि मोमासर, डूंगरगढ (211454)	बीकानेर
2	1972-A	401727	GENF,WD	शान्ति चौधरी व्याख्याता रा.उ.मा.वि.सनावडा, बाडमेर	21.03.1981	BC, WE, WD	रामावि रामूबाई नेहरू नगर बाडमेर (08170656301)	बाडमेर

यह नियुक्तियां राज्य सरकार के पत्रांक प.17(9)शिक्षा–2/2013 दिनांक 11.9.2013 के क्रम में प्रदान की जाती है, इन्हे परिवीक्षाधीन अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 1(12)डीओपी /ए–II/2005 दिनांक 20.01.06 एवं एफ 12(06)एफडी (नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 तथा एफ 15(1)एफ डी/नियम /2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानानुसार विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/03 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001(33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवनियुक्त आशार्थी को पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात

सन्तानोत्पत्ति से बच्चों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है। अ.जा/अ.जजा/अ.पि.व/वि.प.वि वर्ग के आशार्थियों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगें एवं इनके शैक्षणिक /प्रशैक्षणिक एवं पात्रता संबंधी मूल दस्तावेज से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करावें । सत्यापन होने तक कार्यग्रहण हेतु प्रोविजनल अनुमति प्रदान की जावे। संबंधित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व अपने दस्तावेजो की छाया प्रति मय पदस्थापन आदेश की प्रति एवं समस्त प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता का मूल शपथ पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराने के पश्चात लिखित पूर्वानुमति लेकर ही कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

संबंधित संस्था प्रधान उपरोक्त आशार्थियों को निश्चित दिनांक तक कार्यग्रहण करने बाबत कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें। उक्त कार्मिक दिनांक 14.08.2020 तक नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करावें। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेंगें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर
दिनांक 04.08.2020

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/बी–I/45001/पीएससी–2012/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
3. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाज़ा।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा जोधपुर/बीकानेर।
6. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर/बाडमेर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/बाडमेर।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री डूंगरगढ(बीकानेर)/चौहटन(बाडमेर) को पाबन्द किया जाता है कि उल्लेखित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व इनके मूल दस्तावेजो की छाया प्रति मय पदस्थापन आदेश की प्रति एवं समस्त प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता का मूल शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करावे।
9. सहायक निदेशक गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/संस्था–सी– अनुभाग।
10. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
11. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक–कार्मिक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर